कार्यवृत्त

मंगलवार, 07 चैत्र, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 28 मार्च, 2017)

खण्ड–47
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के सदस्य श्री प्रीतम सिंह द्वारा मा0 विधायक श्रीमती ममता राकेश तथा श्री फुरकान अहमद को दी जा रही धमकी संबंधी नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

संसदीय कार्यमंत्री ने श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इस सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लें। जिस पर नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा अन्य मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वह इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि उपाध्यक्ष पद के लिए दस नामांकनों के सैट प्राप्त हुये है, वे इस प्रकार हैं:–

क्र0स0	नाम–निर्देशित अभ्यर्थी का नाम	प्रस्तावक सदस्य का नाम	समर्थक सदस्य का नाम
1	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री सतपाल महाराज	श्री अरविन्द पाण्डेय
2	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री सुबोध उनियाल	श्री प्रकाश पन्त
3	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्रीमती मीना गंगोला	श्री केदार सिंह रावत
4	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री चन्दन राम दास	श्री पूरन सिंह फर्त्याल
5	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री देशराज कर्णवाल	श्री मुकेश सिंह कोली
6	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री बंशीधर भगत	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
7	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री यतीश्वरानन्द	श्री पुष्कर सिंह धामी
8	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री विनोद चमोली	श्री संजय गुप्ता
9	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री बिशन सिंह चुफाल	श्री विनोद कण्डारी
10	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	श्री सौरभ बहुगुणा	श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण

नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने कहा कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछली विधान सभा में सत्तापक्ष में रही कांग्रेस ने अपने दल से ही उपाध्यक्ष बनाया था। इसके अतिरिक्त विपक्ष की ओर से किसी मा0 सदस्य का नामांकन भी नहीं कराया गया है। अतः यह मांग अस्वीकार्य है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि उपाध्यक्ष पद के लिए एक ही नाम के 10 प्रस्ताव आये हैं दूसरे किसी सदस्य का नामांकन नहीं हुआ है, अतः वे श्री रघुनाथ सिंह चौहान के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा करते हैं। तत्पश्चात सदन के वरिष्ठ मा0 सदस्यों ने उपाध्यक्ष, श्री रघुनाथ सिंह चौहान को उनके आसन पर विराजमान कराया। संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं प्रदान की गई। श्री उपाध्यक्ष ने सदन के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

दिवंगत पूर्व सदस्य स्व0 श्री भारत सिंह चौहान के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की तथा नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश एवं श्री दलीप सिंह रावत, सदस्य विधान सभा ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की।

श्री अध्यक्ष ने अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मा0 सदस्यों व सदन की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

दिवंगत पूर्व सदस्य स्व0 श्री सुखवीर सिंह के निधन पर नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की तथा नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की।

श्री अध्यक्ष ने अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मा0 सदस्यों व सदन की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं। वे सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के पुरःस्थापन के संबंध में निम्नवत् वक्तव्य प्रस्तुत किया:–

> ''उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो कि मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में प्राविधानित कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली समिति को संशोधन किये जाने विषयक हैं, पुरःस्थापति किये जाने के लिए सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने से पूर्व मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूॅ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के कतिपय अन्य प्राविधानों में भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता राज्य सरकार महसूस कर रही है।
>
> अतः उक्त विधेयक को अभी पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।''

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 27 मार्च, 2017 की बैठक में दिनांक 28 मार्च, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च 2017

28 मंगलवार

(1) विधायी कार्य–

1– श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2016 को पारित किया गया और जो ""भारत का संविधान"" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुर्नविचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

2– क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2016 को पारित किया गया और जो ""भारत का संविधान"" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय

राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुर्नविचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

3– उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2016 को पारित किया गया और जो ""भारत का संविधान"" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुर्नविचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण । **(10 मिनट)**

4– उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

5– उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

6– उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण ।

(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 विधायक श्रीमती ममता राकेश को हत्या की धमकी दिये जाने संबंधी नियम– 310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्रीमती ममता राकेश, श्री प्रीतम सिंह, श्री फुरकान अहमद, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा एवं श्री राजकुमार ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि –

(1) प्रस्तावित विधेयक की खण्ड–7(ग) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जायः–

> ''विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि नियामक संस्थायें यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा–परिषद आदि संबंधित नियामक संस्थाओं के मानकानुसार आवश्यक हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर के समीप या अलग (स्प्लिट) परिसर जनपद हरिद्वार में या उत्तराखण्ड में किसी और क्षेत्र में भी स्थापित कर सकता है।''

(2) प्रस्तावित विधेयक की खण्ड–7(ग) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जायः–

> ''उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित नियामक संस्थाओं की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के आधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना,''

(3) प्रस्तावित विधेयक की खण्ड–8(1)(ण) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जायः–

''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित नियामक संस्थाओं की पुर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके,''

(4) प्रस्तावित विधेयक की खण्ड–12(3)(ख) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जायः–

''कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह सन्तुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नही है। तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा,''

(5) प्रस्तावित विधेयक की खण्ड–14(2) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जायः–

उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः अर्थात्ः–

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य,

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य,

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के सयोंजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(6) विधेयक की खण्ड 21 की उपखण्ड (1) के खण्ड (ख) को हटाते हुए खण्डों को पुनसंख्यांकित कर दिया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–51, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में यथा संशोधन सहित पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया प्रस्तावित विधेयक के खण्ड–13(1) एवं खण्ड 14(2)में निम्नवत् संशोधित कर दिया जायः–

13(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से, की जायेगी जो संस्थापक संस्था का सदस्य होगाः परन्तु यह कि संस्थापक संस्था सदस्यों से इतर व्यक्तियों से भी कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी।''

14 (2) उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्ः–

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा संयोजक के रूप में नामित किया जाएगा;''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–51, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक संशोधनों सहित विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में यथा संशोधन सहित पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को मूल स्वरूप में पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा सदस्य विधान सभा श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री प्रीतम सिंह एवं काजी मो0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति के माननीय सदस्यों का नाम–निर्देशन के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा सदस्य विधान सभा, श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2017 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति के माननीय सदस्यों का नाम–निर्देशन के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

काजी मो0 निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज की कार्यसूची में राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेखानुदान के पश्चात रखा गया है। जब तक सरकार को सदन का विश्वासमत हासिल न हो तब तक लेखानुदान नहीं लाया जा सकता। प्रथमतः धन्यवाद प्रस्ताव पर विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए था, तत्पश्चात् लेखानुदान होना चाहिए था। लेखानुदान पर यद्यपि चर्चा की परम्परा नहीं है। परन्तु कौल शकधर के अनुसार जब लेखानुदान दो माह से अधिक अवधि के लिये लिया जाये तो मांग तथा संबंधित नीति पर चर्चा हो सकती है और कटौती प्रस्ताव भी दिए जा सकते हैं। लेखानुदान पर कटौती के प्रस्ताव की अनुमति भी होनी चाहिए थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चर्चा की परम्परा इसलिए नहीं है कि अभी केवल आवश्यक व्यय लेखानुदान में लाया गया है। इसलिए इस पर चर्चा की परम्परा नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण रखे जाने से पहले लेखानुदान पर चर्चा की परम्परा नहीं है। श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने भी कहा कि विपक्ष द्वारा कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः इस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य, काजी मो0 निजामुद्दीन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि लेखानुदान में कटौती के प्रस्ताव पर अनुमति दी जाये। क्योंकि कटौती के कोई प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। अतः व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष द्वारा 01 बजकर 16 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित कर दी गयी।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांग के प्रस्ताव निम्नांकित माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये और उनके अधीन मांगी गई धनराशियॉ सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईः–

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 186227 हजार (रूपये अठ्ठारह करोड़ बासठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 117533 हजार (रूपये ग्यारह करोड़ पचहतर लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 754365 हजार (रूपये पचहतर करोड़ तैंतालीस लाख पैंसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(4) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 100170 हजार (रूपये दस करोड़ एक लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(5) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 11503258 हजार (रूपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(6) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 31608870 हजार (रूपये तीन हजार एक सौ साठ करोड़ अट्ठासी लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(7) आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 110431 हजार (रूपये ग्यारह करोड़ चार लाख इकतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(8) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 43471 हजार (रूपये चार करोड़ चौंतीस लाख इक्हतर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(9) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 8776281 हजार (रूपये आठ सौ सतहतर करोड़ बासठ लाख इक्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(10) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 29253517 हजार (रूपय दो हजार नौ सौ पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)**से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(11) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 7835535 हजार (रूपये सात सौ तिरासी करोड़ पचपन लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(12) पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 3601303 हजार (रूपये तीन सौ साठ करोड़ तेरह लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(13) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 145199 हजार (रूपये चौदह करोड़ इक्यावन लाख निन्यानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(14) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 5137627 हजार (रूपये पांच सौ तेरह करोड़ छिहतर लाख सताइस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(15) श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 913438 हजार (रूपये इक्यानवे करोड़ चौंतीस लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(16) कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2539804 हजार (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ अठानवे लाख चार हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(17) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 192723 हजार (रूपये उन्नीस करोड़ सताइस लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(18) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 6932180 हजार (रूपये छः सौ तिरानवे करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(19) सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2814029 हजार (रूपये दो सौ इक्यासी करोड़ चालीस लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(20) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2437806 हजार (रूपये दो सौ तैंतालीस करोड़ अठहतर लाख छः हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(21) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 7596566 हजार (रूपये सात सौ उनसठ करोड़ पैंसठ लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(22) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 559617 हजार (रूपये पचपन करोड़ छियानवे लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(23) परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 291888 हजार (रूपये उनतीस करोड़ अठ्ठारह लाख अट्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(24) खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 862249 हजार (रूपये छियासी करोड़ बाईस लाख उन्चास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(25) पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 382451 हजार (रूपये अड़तीस करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(26) वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2937597 हजार (रूपये दो सौ तिरानवे करोड़ पचहतर लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(27) पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1143453 हजार (रूपये एक सौ चौदह करोड़ चौंतीस लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(28) औद्यानिक विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 956758 हजार (रूपये पचानवे करोड़ सड़सठ लाख अठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(29) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 3885216 हजार (रूपये तीन सौ अट्ठासी करोड़ बावन लाख सोलह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(30) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1306801 हजार (रूपये एक सौ तीस करोड़ अड़सठ लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची तथा खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा काजी मो0 निजामुद्दीन के भाषण से आरम्भ हुईः–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2017 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है''

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किएः–

श्री मगन लाल शाह,

श्री महेश सिंह नेगी,

श्री करन माहरा,

श्री प्रदीप बत्रा,

चर्चा के मध्य में श्री अध्यक्ष ने कहा कि समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए मेरा मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वे यदि चाहें तो अपना भाषण लिखित रूप में यहॉ जमा करा दें। जिन्हें कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा। श्री फुरकान अहमद, श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, श्री चन्दन राम दास, श्री विजय सिंह पंवार, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री गणेश जोशी, श्री नवीन दुम्का, श्री हरबन्स कपूर, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री दलीप सिंह रावत, श्री विजय सिंह पंवार (गुड्डू भाई), श्री खजान दास एवं श्री बिशन सिंह चुफाल ने अपने भाषण लिखित रूप में दिये।

श्रीमती ममता राकेश,

श्री आदेश चौहान,

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण,

श्री देशराज कर्णवाल,

श्री भरत सिंह चौधरी,

श्री मनोज रावत

श्री राम सिंह कैड़ा,

05:00 बजे माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्रीमती मीना गंगोला,

श्री हरीश धामी,

श्री विनोद कण्डारी,

श्री प्रीतम सिंह पंवार,

श्री संजीव आर्य,

05:45 बजे माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री महेन्द्र भट्ट,

श्री विशन सिंह,

श्री नवीन दुम्का,

श्री हरभजन सिंह चीमा,

श्री खजान दास,

श्री दलीप सिंह रावत,

श्री विजय सिंह पंवार (गुड्डू भाई),

श्री आदेश सिंह चौहान,

श्री प्रीतम सिंह पंवार,

श्री राजकुमार,

श्री केदार सिंह रावत,

श्री रघुनाथ सिंह चौहान,

श्री विनोद चमोली,

श्री आदेश चौहान,

श्री भरत सिंह चौधरी,

श्री विनोद कण्डारी,

श्री धन सिंह नेगी।

नेता सदन ने उत्तर भाषण दिया तथा माननीय सदस्य, श्री मुन्ना सिंह चौहान ने अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देकर अपील की कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन के प्रस्ताव जो उपस्थित किए हुए माने गये थे, अस्वीकृत हुए तथा श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव मूल रूप में स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधान सभा की विभिन्न समितियों अर्थात् सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, याचिका समिति, आवास समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, प्राक्कलन समिति तथा अधिष्ठाता मण्डल के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विधान सभा के माननीय सदस्यों को निर्वाचित/नामनिर्दिष्ट करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत कर दिया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत जो कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सभी सूचनाओं को वे सरकार का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार कर रहे हैं।

''विधान सभा क्षेत्र के जनपद चमोली के जोशीमठ नगर के नीचे बसे गॉव सेमा में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय किये जाने के संबंध में'' श्री महेन्द्र भटट्, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2017 को दी गई सूचना पर, नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया जो पढ़ा हुआ माना गया।

''जनपद ऊधम सिंह नगर के 66–रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के रूद्रपुर नगर के वार्ड न0 16 आदर्श इन्दिरा बंगाली कालोनी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में'', श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2017 को दी गई सूचना पर, नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष ने नव संवत्सर के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि आज नव संवत्सर है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको तथा इस सम्मानित सदन की ओर से प्रदेश तथा देश की समस्त जनता को विक्रम संवत् 2074 के शुभारम्भ की हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। नव संवत्सर का यह प्रथम दिवस पवित्र नवरात्र के प्रारम्भ होने, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना किये जाने, आर्य समाज की स्थापना होने, परम पूज्यनीय डा0 केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म होने, श्रीराम जी के राज्याभिषेक होने तथा सन्त झूलेलाल की जयन्ती का प्रतीक है। मेरी कामना है कि यह नववर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली तथा समृद्धि लाये।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 07 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।